

आदेश

शासनादेश संख्या 341/XVIII-(2)/10-12(17)/2007 दिनांक 09 जून, 2010 के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 1.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटन प्राप्त होने के पश्चात विभागों से प्राप्त परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत हेतु प्राप्त आगणनों को तकनीकी लेखा समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न कार्य योजनाओं स्वीकृति प्रदान की जाती है। (धनराशि लाख रूप में)

क्र. सं.	योजना का नाम	विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	कार्ट मैकेन्जी मोटर मार्ग के किमी 7 से 10 में क्षतिग्रस्त दीवारों का कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.	2.70
2	कार्ट मैकेन्जी मोटर मार्ग के किमी 1 से 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों का कार्य	उपरोक्त	2.75
3	विलासपुर काण्डली में प्रताप की दुकान से सूरज के घर तक मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य	उपरोक्त	2.70
4	सूरज के घर से श्रीमती आनन्दी देवी के घर तक मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य	उपरोक्त	2.75
5	आनन्दी देवी के घर से चुन्नीलाल के घर तक मार्ग का पुनर्निर्माण	उपरोक्त	2.55
6	प्रा० विद्यालय भिगाड की मरम्मत कार्य	उपरोक्त	2.26
7	ग्राम उकाया में उकाया खड्ड में पुलिया मरम्मत कार्य	बी०डी०ओ० चकराता	3.98
8	काण्डी में खरादा छानी खड्ड में पुलिया मरम्मत कार्य	उपरोक्त	3.58
9	कसरवाला बजट मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार एवं स्लिप सफाई कार्य	उपरोक्त	1.41
10	खरौं सहरन्धारा मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार एवं स्लिप सफाई कार्य	ज० खण्ड ल. वि. प्र. वि. क. वि.	3.00
11	पी.पी.सी.दुरमाला नाली नया गोंद होते हुए सरोना तक मार्ग 1 से 4 तक दीवार एवं स्लिप सफाई कार्य	उपरोक्त	3.00
12	पी.पी.सी.दुरमाला नाली नया गोंद होते हुए सरोना तक मार्ग 5 से 10 तक दीवार एवं स्लिप सफाई कार्य	उपरोक्त	2.85
13	सहरन्धारा ब्यास मोटर मार्ग किमी 1 से 4.50 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार एवं स्लिप सफाई का कार्य	उपरोक्त	2.85
	योग		36.38

शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि अनुदान संख्या 06 लेखा शीर्षक 2245 - प्रायुक्त विभागों के कारण राहत-05 आपदा राहत निधि-आयोजनेत्तर 800-अन्य व्यय-01- कोषाधिकार आयेजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधित्त योजनाये-0101 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42 व्यय के नाम से 36.38 लाख रुपये (केवल छत्तीस लाख अड़तीस हजार रूप) को कोषाधिकार से आगणन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*M.S. 21/8/10*

जिलाधिकारी

देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या 1150 / सी०आर०ए०-10

दिनांक 21 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
- 2- महालेखाकार उत्तरखण्ड देहरादून।

*M.S. 21/8/10*

जिलाधिकारी

देहरादून।